

विषय:

एफ-19-498/2015/स्था./19

अवमानना/याचिका क्रमांक-7865/2015 द्वारा  
श्री राम प्रकाश विरुद्ध —  
म0प्र0शासन एवं अन्य।

पंजी क्र. ~~32~~ 3/2015/स्था./19, दिनांक 29/12/15  
से प्राप्त पत्र।

—8003—

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ श्री राम प्रकाश द्वारा मान0उच्च न्यायालय  
ज्वालिपट के समक्ष अवमानना/याचिका  
क्रमांक-7865/2015 दायर किया है, जिसमें शासन का  
पक्ष समर्थन करने हेतु प्रभारी/सम्पर्क अधिकारी नियुक्त  
किया जाना है।

प्रकरण भिन्ड से संबंधित है। अतः मुख्य  
अभियंता/अधीक्षक यंत्री/कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण  
विभाग खन्नाग भिन्ड को प्रभारी/सम्पर्क  
अधिकारी को नियुक्त किया जाना उचित होगा।

आदेशार्थ प्रस्तुत।

अनु03/ध0

जय प्रकाश  
सिन्हा

31/12/15

31-12-15

31/12/15

31/12/15



○

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

एफ-19-५१४ / 2015/स्था./19

अवमानना/याचिका क्रमांक-7865/2015 द्वारा  
श्री राम नारायण विरुद्ध  
म0प्र0शासन एवं अन्य।

का विभाग

—४०४—

पूर्व पृष्ठ से:-

(सर्वे करके दस्तावेज जमा)

अनुधातु (पिन्)

राम नारायण

२०.

की सिंह

05/01/16

05/01/16

05/01/16

05/01

लोक  
संख्या 187-68/19  
दिनांक 07/01/2016



विषय:

एफ-19-498/2015 स्था./19

अवमानना/याचिका क्रमांक-7865/2015 द्वारा  
श्री राम प्रसाद विरुद्ध  
म0प्र0शासन एवं अन्य।

एम  
प 6/11  
का विभाग

पूर्व पृष्ठ से:-

प्रभारी आधीश्वारी की निम्नलिखित  
उपरोक्त शासन के वषा समर्थन हेतु नाली  
विधे विभाग को अंशित करना चाहेते।

8440

18/3/16

अनुपराध

अनुपराध

सचिव

विभाग प्रमुख

18/03/16

21/03/16

21.3.16

चन्द्र प्रकाश अग्रवाल  
सचिव, म.प्र.शासन  
लोक निर्माण विभाग  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

मा. शा. शा. शा.  
25-1-16

○

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:

एफ-19- / 201 / रथा. / 19

अवमानना/याचिका क्रमांक- / द्वारा  
श्री विरुद्ध  
म0प्र0शासन एवं अन्य।

का विभाग

—४०७—

पूर्व पृष्ठ से:-



**PETITIONER :**

Ram Prakash S/o Shri Asharam Aged 56  
years, Occupation Service as Labour  
/Gangman R/o Chiroul, Tehsil Mehgaon  
Distt. Bhind.

Presented on 18/11/15

By A.P.S. Chaurhan

Presentation Assistant

Versus

**RESPONDENTS:**

1. State of Madhya Pradesh through the  
Principal Secretary, Public Works  
Department, Mantralaya, Vallabh  
Bhawan, Bhopal M.P.
2. Engineer-in-Chief, Public Works  
Department, Satpura Bhawan, Bhopal  
M.P.
3. Chief Engineer (North Zone), Public  
Works Department, Thatipur, Morar,  
Gwalior.
4. Executive Engineer, Public Works  
Department, Bhind Division Bhind, M.P.

**Petition under Article 226 of Constitution of India**

1.

**Particulars of the Cause/Order against which the  
Petition is made**

- |       |  |   |     |
|-------|--|---|-----|
| (i)   | Order No.  | : | Nil |
| (ii)  | Dated  | : | Nil |
| (iii) | Passed by  | : | Nil |
| (iv)  | Subject matter in brief : Petitioner is aggrieved by the |   |     |

action of respondents by which they have not  
absorbed/ regularized the services of petitioner in  
spite of the fact that petitioner has been working

6/11/15

शमरा

नगुक्स

महाराष्ट्र ग्वालियर



## HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

CASE No. .... OF 20

## ORDER SHEET (Continuation)

Date & S. No. of the order	Order
	<p>(Ram Prakash Vs. State of M.P. &amp; Ors.)</p> <p style="text-align: right;">W.P.No. 7865/2015</p> <p><u>27.11.2015</u></p> <p>Shri Alok Sharma, Advocate for the petitioner. Shri S.K.Jain, Government Advocate for the respondents- State.</p> <p>With the consent of parties, this matter is heard finally.</p> <p>In this petition, under Article 226 of Constitution of India, the petitioner <i>inter alia</i> seeks direction to the respondents to accord him service benefits including pay scale, increments and D.A. of the post of Gangman/Labour from the date of his classification as permanent employee.</p> <p>When the matter was taken up today, learned counsel for the parties jointly submit that the controversy involved herein is squarely covered by order dated 06/04/2015 passed in W.P. No. 2000/2015.</p> <p>In view of aforesaid submissions and the reasons assigned by Bench of this Court in W.P. No. 2000/2015, this writ petition stands disposed of on the same terms and with similar directions passed in W.P. No. 2000/2015.</p> <p style="text-align: center;">Certified copy as per rules.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Handwritten signature]</i> Durgekar</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p><i>[Handwritten signature]</i> (Alok Aradhe) Judge</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">CERTIFIED TO BE A TRUE COPY</p> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">Sd/- Head of the Court</p>



मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 07/01/2016

क्रमांक-एफ-19-498/2015/स्था./19, राज्य शासन एतद्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग-भिण्ड को मान.उच्च न्यायालय, ग्वालियर में डब्ल्यू.पी. क्रमांक-7865/2015 द्वारा श्री राम प्रकाश, विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थिति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जांच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
2. वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
3. समस्त सुसंगत फाईलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथा आदेशों को एकत्रित करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल कराना..... प्रस्तावित है और किसी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई।
  - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
9. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।



8. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।
9. यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हों।
10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
11. प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित/छुपा हुआ नहीं रह जाए।
12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकदमे हैं तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
13. प्रभारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकदमे हैं, तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(सुनील मंडावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग  
भोपाल, दिनांक 07/01/2016

पृ.क्र.-एफ-19-498/2015/स्था./19

प्रतिलिपि:-निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, मान.उच्च न्यायालय, ग्वालियर म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
4. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण उत्तर-परिक्षेत्र-ग्वालियर।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग- भिण्ड को प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही मान.उच्च न्यायालय, ग्वालियर में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जा सके।
6. जिलाध्यक्ष-भिण्ड।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग